न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,न्यायालय सं0 2, फतेहाबाद, आगरा

उपस्थित : तरूण कुमार अग्रवाल–उ0प्र0 न्यायिक सेवा

दण्डवाद संख्या 260 /2014

सी0एन0 आर सं0

आई0 डी0 सं0 यू.पी. 2497

राज्य प्रति 1.तारा सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह

2. चन्द्रसैन पुत्र श्री गोकुल सिंह

3. राकेश पुत्र श्री गोकुल सिंह

4. रेशम सिंह पुत्र गोकुल सिंह

5. हजारी लाल पुत्र श्री गोकुल सिंह

निवासीगण मौहल्ला ग्राम सुरारी थाना शमशाबाद जिला आगरा।

मु0 अ0 सं0 संख्या–223ए/2013

धारा :147,323,324,504,506, भा0दं0सं0

थाना'– शमशाबाद, आगरा।

<u>निर्णय</u>

1. पुलिस थाना शमशाबाद जिला आगरा द्वारा अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल के विरूद्व धारा :147,323,324,504,506, भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत करते हुए विचारण किया गया है।

2. मु0 अ0 सं0 223ए/13 प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2001 को समय करीब 10.00 बजे तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल पुत्रगण गोकुल सिंह निवासी गॉव लखुरानी थाना शमशाबाद आगरा गॉव में बने मंदिर के पास बने ब्रेकर को तोड़ रहे थे कि वादी का भाई हरिओम व सोनू व श्रीपाल ने ब्रेकर तोड़ने से मना किया तो उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर हाथों में लाठी डण्डा, फरसा व तमंचा लेकर आ गये और मेरे भाई हरिओम , सूने व श्रीपाल को गाली गलौज देते हुये मारने पीटने लगे जिससे हरिओम के नॉक पर चोट लगी है, तथा दॉत तोड़ दिया है, तथा सोनू के पैर में चोट लगी है तथा श्रीपाल के सिर में धार–दार हथियार से चोट मारी है जिनका ईलाज पहले करा दिया हैं। इतने में ही गॉव के अन्य लोग आ गये जिन्होंने मेरे भाईयों को बचाया तथा जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे गये। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करें।

3. उक्त रिपोर्ट पर थाना शमशाबाद आगरा पर अभियोग मु0 अपराध संख्या

223ए/2013 अर्न्तगत धारा :147,323,324,504,506, भा0दं0सं0 पंजीकृत की गयी तथा मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्री दयाराम द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में वादी मुकदमा व गवाहन के बयान अंकित किये गये, घ ाटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा विवेचना की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल के विरूद्व धारा :147,323,3424,504,506, भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

4. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल के विरूद्ध धारा :147,323,3424,504,506, भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा शिशुपाल ,पी0 डब्लू–2 पीडित/ चुटैल सोनू, पी0डब्लू–3 श्रीपाल पी0डब्लू–4हरिओम को परीक्षित कराया गया । वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं अभियोजन की संस्तुति पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6. अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्र नकल जी0डी0, नक्शा नजरी, व आरोप पत्र की प्रमाणिकता औपचारिक रूप से स्वीकार की गयी, तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

7. अभियुक्तगण के कथन अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये, अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने से इंकार किया ।

8. मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया ।

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 शिशुपाल जो कि वादी मुकदमा है, ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 16.02.12 को तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल,मेरे ही गॉव में मंदिर के पास बने ब्रेकर को तोड रहे थे। मेरे भाईयों ने एसा करनेसे रोका जिससे सभी लोग एक साथ होकर मेरे भाई हरिओम, सोनू, के साथ गाली गालौज व मारपीट करने लगे जिससे इन को चोटे आयीं। इस घटना की लिखित तहरीर थाना शमशाबाद पर दी गयी जो मूल रूप से पत्रावली में हैं अपने हस्ताक्षर को मैं दस्तीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

10. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने

अपनी जिरह में कथन किया है कि मेरे गॉव के मंदिरन के पास बने ब्रेकर को कुछ लोग तोड रहे थे। इसी बात को लेकर गॉव के कलोग इकटठा हो गये, जिसमें कहा सुनी होने लगी और ईट पत्थर चलने लगे। जिसमें मेरे भाई बीच बचाव करते समय घायल हो गये। लोगों की भीड में से किसी ने ईट पत्थर मारे ना तो वह देख पाया ना ही पहचान पाया। लोगों के कहने पर मैंने अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल के नाम तहरीर में लिखा दिये थे। यह कहना सही है कि मेरा आपस में राजीनामा हो गया है तथा यह कहना गलत है कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही बात न बता रहा हो।

11. अभियोजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–2 सोनू को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी घटना का चुटैल व पीडित है इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के दिन गॉव के तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल गॉव में ही मंदिर के पास बने ब्रकर को तोड रहे थे। जिसको वह व उसके भाईयों ने तोडने से मना किया तो उक्त सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुये लाठी डण्डो से उसे व उसके भाईयों को मारा पीटा जिसमें हम तीनों को चोट आ गयीं थीं। शोर होने पर गॉव वालों ने आकर मुझे व मेरे भाईयों को बचाया दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

12. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मुन्ल्जिमान तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल, ने मेरे व मेरे भाईयों के साथ कोई गाली गलौज, व मारपीट नहीं की थी। यह कहना सही है कि मंदिर के पास बने ब्रेकर को तोड़ने को लेकर गॉव वालों की भीड़ जमा हो गयी थी। जिसमें ईट पत्थर चलने लगे थे। बीच बचाव करते समय मुझे व मेरे भाईयों को चोटे आ गयी ना कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने से।

13. अभियेाजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–3 श्रीपाल को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी भी घटना का चुटैल एवंम् पीड़ित हैं। इस साक्षी से अभियेाजन द्वारा मुख्य परीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के दिन वह गॉव के मंदिर में पूजा करने गया था। उसी समय तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल मंदिर के सामने बने ब्रेकर तो तोड़ रहे थे। उसी सीय मैं व मेरे भाईयों ने तोडने से मना किया तो उक्त सभी लोगों ने मुझे व मेरे भाईयों कोक लाठी डण्डों से मारा पीटा। जिसमें मुझे व मेरे भाईयों को चोटें आयीं। शोर होने पर गॉव के लोगों ने बचाया। दरोगा जी ने मेरा यही बयान लिया था।

14. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने

अपनी जिरह में कथन किया है कि मंदिर के सामने बने ब्रेकर को तोड़ते समय लोगों की भीड इकट्ठा हो गयी थी। भीड़ भाड़ में ब्रेकर को तोडने को लेकर धक्का मुक्की व ईट पत्थर चलने लगे। बीच बचाव करते समय मेरे व मेरे भाईयों को चोटें आ गयीं। ना कि अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने से। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था, कैसे लिख दिया वह बजह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने अपने ही बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 से साफ तौर से इंकार किया है।

15. अभियेाजन द्वारा अपना केस साबित करने के लिये गवाह पी0डब्लू–4 हरिआम को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी से अभियेाजन द्वारा मुख्य परीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना सुबह 10.00 बजे की हैं वह घर पर था। उस समय गॉव के तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल मंदिर के पास बने ब्रेकर को तोड रहे थे। मैंने व मेरे भाईयों ने उक्त ब्रेकर को तोडने से मना किया तो उक्त लोगों ने लाठी डण्डों से मुझे व मेरे भाईयों को मारा पीटा जिसमें मुझे व भाईयों को चोटे आयीं। शोर पर गॉव के लोगों ने बचाया। दरोगा जी ने मेरा यहीं बयान लिया था।

16. इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गयी तो इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मुल्जिमान तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल आदि लोगों ने मुझे व मेरे भाईयों को ना गाली गलौज दी ना ही लाठी डण्डों से मारपीट की। ब्रेकर तोडने को लेकर गॉव के लोगों में मारपीट कहा सुनी होने लगी। ईट पत्थर लगे जिसमें उसे व उसके भाईयों को चोटें आ गयीं, ना कि उक्त लोगों के मारपीट करने से।

17. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–1 चुटैहिल वादी मुकदमा व पी0डब्लू– 2 चुटैल सोनू,पी0डब्लू–3 श्रीपाल, तथा पी0डब्लू–4 हरिओम के प्रतिपरीक्षा में किये गये बयान से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से मारपीट करने व गाली गलौज गंभीर चोटें पहॅूचाने व जानसे मार दिये जाने की धमकी दिये जाने के तथ्य को संदेह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

18. यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है, परन्तु अभियोजन साक्षीगण के बयान से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है अतएव केवल मात्र अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार किये जाने के आधार पर ही अभियुक्त दोषसिद्व किये जाने योग्य नहीं हैं।

15. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं उक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन,

राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल के विरूद्व धारा :147,323,3424,504,506, भा0दं0सं0 के आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण तारा सिंह, चन्द्रसैन, राकेश, रेशम सिंह, हजारी लाल को धारा :147,323,3424,504,506, भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 437ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण उपरोक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त सुनील मु0 20,000/—रूपये का नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू छः माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित की जाती है तो वह अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के अनुपालन में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

S D/-

दिनांक 14.01.2020, (तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्या सं0 2,फतेहाबाद
आगरा

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया

S D/-

दिनांक 14.01.2020, (तरूण कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्या सं0 2,फतेहाबाद
आगरा